

**छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

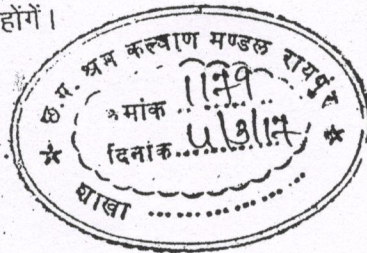
// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक २१/०१/२०१७

क्रमांक एफ १०-१२/२०१६/१६ :- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के विनियमन क्रमांक ४ पंजीयन प्रारूप "एच" {Form 'H'} छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम १९५६ की धारा ६ (२) का अनुकूलन स्थापना पंजीयन आवेदन प्रारूप के कडिका क्रमांक ९ में मंडल को देय शुल्क रुपये १००/- के स्थान पर राज्य शासन के अनुमोदन दिनांक १३.१०.२०१६ के अनुसार पंजीयन शुल्क निम्नवत् होंगे :-

Maximum number of worker to be employed on any day during the year	Fee payable in Rupees
1.	2.
Upto 20	1200
Upto 21 to 50	1700
Upto 51 to 100	3000
Upto 101 to 250	3800
Upto 251 to 500	7400
Upto 501 to 1000	18700
Upto 1001 to 1500	25900
Upto 1501 to 2000	29800
More than 2000	37300

उपरोक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क वर्ष २०१७, २०१८ एवं २०१९ के लिए स्वीकृत दर पर श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अंतर्गत नवीन एवं पूर्व स्थापनाओं पर स्वीकृत दिनांक से लागू होंगे।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खैसी)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

3/3/2017

मेरी मर/पर्यवेक्षण के कठक प्रति
दे जावे

Alshavama
५/३/२०१७

५-३-१७

क० मा० भ० न०
D:\mham Des\adhison hama.doc

1/2/1

पृष्ठांकन एफ 10-12 / 2016 / 16

नया रायपुर, दिनांक २५/०१/२०१७

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
3. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
4. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)
6. सचिव, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
7. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
8. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी
(छ०ग०)
9. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. गार्ड-फाईल ।

उप सचिव,

१२-छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग